

राजस्थान उच्च न्यायालय, जोधपुर

आज्ञा

क्रमांक:- स्था.(रा.न्या.से.)सं.प.अ. / 33

/2020

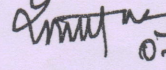
दिनांक : 07.02.2020

श्रीमती बबीता वर्मा (RJ1189), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर को दिनांक 10.02.2020 से 04.04.2020 तक 55 दिनों का संतान परवरिश अवकाश (Child Care Leave) दिनांक 09.02.2020 एवं 05.04.2020 से 06.04.2020 के राजपत्रित अवकाशों के उपभोग की अनुमति सहित स्वीकृत किया जाता है ।

श्रीमती स्निग्धा सूद (RJ1041), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर को श्रीमती बबीता वर्मा के उक्त अवकाश अवधि के दौरान अपने पद के कार्य के साथ-साथ अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर के पद का अतिरिक्त कार्यभार सम्पादित किये जाने हेतु एतद्वारा पदस्थापित / नियुक्त कर निम्नलिखित निर्देश दिये जाते हैं :-

1. ऐसे प्रकरणों, जिनमें अभियुक्त न्यायिक अभिरक्षा में है और उच्चतर न्यायालयों द्वारा समयबद्ध निस्तारण के आदेश पारित है, का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण किया जावे ।
2. श्रीमती स्निग्धा सूद (RJ1041), जिनको अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर के अतिरिक्त कार्यभार के लिए नियुक्त किया गया है, को उक्त न्यायालय के कार्य का निस्तारण निर्धारित मापदण्ड के अनुसार कम से कम 40% किया जाना आवश्यक है ।

आज्ञा से

 07.2.2020

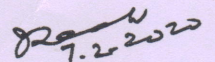
रजिस्ट्रार (वर्गीकरण)

क्रमांक :- स्था.बी.२(4)/54/2017/ 912

दिनांक 07.02.2020

प्रतिलिपि निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :

1. प्रमुख शासन सचिव, विधि एवं विधिक कार्य विभाग राजस्थान, जयपुर ।
2. जिला एवं सेशन न्यायाधीश, अलवर को उनके पत्रांक 2862 दिनांक 27.01.2020 के सन्दर्भ में ।
3. श्रीमती बबीता वर्मा (RJ1189), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर ।
4. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-03, अलवर ।
5. श्रीमती स्निग्धा सूद (RJ1041), अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर ।
6. अति. सिविल न्यायाधीश एवं न्यायिक मजिस्ट्रेट क्रम-01, अलवर ।
7. संबंधित कोषालय ।
8. संबंधित लिपिक/स्थानान्तरण-पदस्थापन लिपिक, आर. जे. एस. (स्था.) शाखा रा.उ.न्या., जोधपुर ।

 07.2.2020

सहायक रजिस्ट्रार